भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 462

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत ई-मार्ग पोर्टल

462. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेकेदारों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी खराबी के दायित्व और उनके स्वयं के खर्च पर रखरखाव के प्रावधान के बावजूद , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की पूर्ण हो चुकी सड़कों के एक हिस्से में दर्ज किए गए दोष के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2025-26 के दौरान रखरखाव निधि जारी करने और नवीनीकरण कार्यों की निगरानी के लिए ई-मार्ग पोर्टल का उपयोग करने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उन सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और ग्रामीण समुदायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) मंत्रालय ग्रामीण सड़कों के पूर्ण हो चुके नेटवर्क के दीर्घकालिक जीवन के लिए और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ी हुई निगरानी या नीतिगत समायोजन सहित किन उपायों पर विचार कर रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और सभी सड़क कार्य , मानक बोली दस्तावेज में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्माण अनुबंध के साथ ही , उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले शुरुआती पांच वर्ष के रखरखाव अनुबंधों के दायरे में आते हैं। इस अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाना आवश्यक है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। निर्माण के बाद

के 5 वर्ष के रखरखाव की समाप्ति पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है, जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे जोनल रखरखाव अनुबंधों के लिए आवश्यक बजट प्रावधान किया जाना और निधियों को एसआरआरडीए के पास जमा किया जाना अपेक्षित है।

पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मानकों के अनुसार डिजाइन और बनाई जाती हैं और पांच वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के अध्यधीन होती हैं, जिसके दौरान संबंधित ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोषों को सुधारने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा, सड़क का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पांच वर्ष के सशुल्क रखरखाव का प्रावधान किया गया है। कुछ पूर्ण हो चुकी पीएमजीएसवाई सड़कों में खराबी की सूचित की गई घटनाएं स्थानीय स्तर पर हैं और विशिष्ट कारकों के कारण हैं यथा, अभूतपूर्व भारी वर्षा , बाढ़, वाहनों द्वारा डिजाइन क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग , उपयोगिता कटौती और अतिक्रमण के कारण क्षति , अपर्याप्त जल निकासी रखरखाव और विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रहे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक अनुमानों से अधिक यातायात वृद्धि। कुछ मामलों में , दोषों की समय पर रिपोर्टिंग में देरी , स्थानीय रखरखाव व्यवस्था में बाधाओं अथवा उचित मरम्मत के बिना तीसरी एजेंसियों द्वारा कार्यों के निष्पादन ने भी समय से पहले नुकसान में योगदान दिया है। ऐसी घटनाएं कार्यक्रम में प्रणालीगत कमियों को नहीं दर्शाती हैं।

इसके अलावा, जवाबदेही और ग्रामीण सड़क संपत्तियों के टिकाऊपन बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी उपकरणों का लाभ उठाते हुए , राज्यों को रखरखाव प्रावधानों के कड़े कार्यान्वयन, दोषों को तत्काल सूचित करने और जल निकासी के पर्याप्त रखरखाव को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और नवीनीकरण कार्यों के पारदर्शी नियोजन, निगरानी और निष्पादन को सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 'इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स ' (ई-मार्ग) पोर्टल चालू किया है। 2025-26 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों द्वारा शुरुआती पांच वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के बाद की सड़कों सहित पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव और आवधिक नवीनीकरण कार्यों की ऑनलाइन योजना , अनुमोदन और निगरानी के साथ-साथ संबंधित निधि प्रवाह की ट्रैकिंग के लिए ई-मार्ग पोर्टल के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह प्रणाली जियो-टैगिंग , समय-मुद्रित फोटोग्राफिक साक्ष्य और सड़क-वार रिपोर्टिंग को की सुविधा प्रदान करती है , जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

28.01.2026 तक, 2025-26 के लिए ₹1,696 करोड़ की कुल रखरखाव देनदारी के मुकाबले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डीएलपी के तहत ₹667 करोड़ का व्यय सूचित किया गया है। देनदारी और व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुबंध**-I में दिया गया है। डीएलपी के बाद के मामलों में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण पर ₹527 करोड़ का व्यय किया गया है। किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के पूरा होने पर , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सड़कों के नियमित और आवधिक रखरखाव के लिए पर्याप्त निधि निर्धारित करना आवश्यक है। पीएमजीएसवाई सड़कों की स्थिति की नियमित रूप से ई-मार्ग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी की जाती है , जो रखरखाव की आवश्यकताओं, दोषों और तत्काल ध्यान देने वाली सड़कों सहित कार्यों की प्राथमिकता को दर्ज करता है। ई-मार्ग में ऐसी व्यवस्था है कि यदि निरीक्षण के बाद प्रदर्शन मूल्यांकन (पीई) में सड़क को 80% से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो ठेकेदार को उस बिल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (28.01.2026 तक) निष्पादन मूल्यांकन में 80% से कम अंक पाने वाली और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता वाली सड़कों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत बनाए गए ग्रामीण सड़क नेटवर्क की दीर्घकालिक स्थिरता और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत , तकनीकी और निगरानी उपायों की एक श्रृंखला कार्यान्वित की है। इसमें ठेकेदारों द्वारा सशुल्क रखरखाव के साथ पांच वर्ष की डीएलपी के माध्यम से पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव और उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा डीएलपी पश्चात रखरखाव शामिल है। निगरानी को मजबूत करने के लिए , मंत्रालय ने 'इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स ' (ई-मार्ग) पोर्टल चालू किया है, जो रखरखाव संबंधी निधि के प्रवाह की निगरानी के साथ-साथ रखरखाव और नवीनीकरण कार्यों के सड़क-वार नियोजन , निगरानी और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है। ओएमएमएएस के साथ ई-मार्ग का एकीकरण डेटा-आधारित निगरानी और बेहतर वित्तीय मिलान की सुविधा प्रदान करता है।

एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, जिसमें आंतरिक जांच, राज्य गुणवत्ता निगरानी और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी (क्यूएम) शामिल हैं , निरंतर कमियों की पहचान करती है और समय पर सुधार सुनिश्चित करती है। पर्याप्त रखरखाव निधि का समय पर जारी किया जाना और उपयोग, जल निकासी के उचित रखरखाव और दोषों की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन्हें सलाह दी जाती है।

मंत्रालय जलवायु-अनुकूल डिजाइनों को अपनाने , बेहतर जल निकासी मानकों , उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग और पुरानी एवं भारी यातायात वाली ग्रामीण सड़कों

के नवीनीकरण को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा , पीएमजीएसवाई-।।। के तहत ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और पीएमजीएसवाई- ।V की अवधारणा जैसी नीतिगत पहलें , जो मौजूदा ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और स्थिरता पर केंद्रित हैं, संपत्तियों की दीर्घकालिक सेवाक्षमता की रक्षा करने का लक्ष्य रखती हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.02.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2025-26 (28.01.2026 तक) के दौरान सड़कों के रखरखाव पर रखरखाव देनदारी और किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रखरखाव देनदारी (करोड़ रु. में)	व्यय (करोड़ रु. में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.01	0.02
2	आंध्र प्रदेश	19.55	8.67
3	अरुणाचल प्रदेश	80.72	4.76
4	असम	132.36	66.75
5	बिहार	128.52	59.05
6	छत्तीसगढ़	94.56	36.88
7	गुजरात	16.93	4.75
8	हरियाणा	19.60	8.31
9	हिमाचल प्रदेश	65.85	14.20
10	जम्मू और कश्मीर	93.07	27.59
11	झारखंड	124.15	10.40
12	कर्नाटक	64.36	18.89
13	केरल	5.67	2.64
14	लद्दाख	7.97	2.62
15	मध्य प्रदेश	108.39	72.22
16	महाराष्ट्र	26.12	8.88
17	मणिपुर	16.73	4.21
18	मेघालय	40.48	19.06
19	मिजोरम	4.53	2.09
20	नागालैंड	7.48	1.99
21	ओडिशा	130.66	43.84
22	पुदुचेरी	0.00	0.00
23	पंजाब	12.99	7.04
24	राजस्थान	48.74	17.17
25	सिक्किम	7.34	0.87

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रखरखाव देनदारी (करोड़ रु. में)	व्यय (करोड़ रु. में)
26	तमिलनाडु	44.05	29.40
27	तेलंगाना	9.89	3.38
28	त्रिपुरा	13.97	2.89
29	उत्तर प्रदेश	224.60	117.60
30	उत्तराखंड	52.05	24.14
31	पश्चिम बंगाल	93.79	46.58
कुल		**1696.13**	**666.91**

अनुबंध-।।

दिनांक 03.02.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध- ।।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (28.01.2026 तक) के दौरान दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के बाद पीएमजीएसवाई सड़कों पर किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य	कुल व्यय (करोड़ रु. में)
		(नवीनीकरणे पर डीएलपी पश्चात के माध्यम से)
1	अरुणाचल प्रदेश	4.46
2	असम	51.11
3	छत्तीसगढ़	76.49
4	गुजरात	3.37
5	हरियाणा	0.00
6	हिमाचल प्रदेश	8.98
7	जम्मू और कश्मीर	17.23
8	कर्नाटक	0.00
9	केरल	1.49
10	मध्य प्रदेश	184.48
11	महाराष्ट्र	30.22
12	मेघालय	1.11
13	ओडिशा	3.62
14	राजस्थान	21.22
15	सिक्किम	0.00
16	तमिलनाडु	22.25
17	त्रिपुरा	2.65
18	उत्तर प्रदेश	80.41
19	उत्तराखंड	0.55
20	पश्चिम बंगाल	17.23
कुल		**526.88**

अनुबंध-III

दिनांक 03.02.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध-III

वित्तीय वर्ष 2025-26 (28.01.2026 तक) के दौरान निष्पादन मूल्यांकन (पीई) में 80% से कम अंक प्राप्त करने वाली सड़कों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सड़कें (जारी)	पीई अंक (80% से कम) प्राप्त करने वाली सड़कों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67	35
2	आंध्र प्रदेश	804	31
3	अरुणाचल प्रदेश	451	37
4	असम	2894	226
5	बिहार	7093	1202
6	छत्तीसगढ़	1659	141
8	गुजरात	270	35
9	हरियाणा	257	46
10	हिमाचल प्रदेश	1007	431
11	जम्मू और कश्मीर	1181	249
12	झारखंड	4329	595
13	कर्नाटक	823	41
14	केरल	234	45
15	लद्दाख	50	1
17	मध्य प्रदेश	1829	199
18	महाराष्ट्र	700	113
19	मणिपुर	388	29
20	मेघालय	657	89
21	मिजोरम	100	17
22	नागालैंड	58	6
23	ओडिशा	5062	1572
24	पुदुचेरी	2	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सड़कें (जारी)	पीई अंक (80% से कम) प्राप्त करने वाली सड़कों की संख्या
25	पंजाब	465	21
26	राजस्थान	1672	167
27	सिक्किम	174	81
28	तमिलनाडु	2231	63
29	तेलंगाना	548	157
30	त्रिपुरा	163	85
31	उत्तर प्रदेश	3190	120
32	उत्तराखंड	964	189
33	पश्चिम बंगाल	1549	386
	कुल	**40871**	**6409**